राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(12)/नियम/डीएलबी/15/ 15012 जयपुर, दिनांक 12/05/17

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत दिनांक 10.05.2017 से 10.07.2017 तक शिविर आयोजित किये जा रहे है। उक्त शिविरो में विभिन्न प्रकरणो के त्वरित निस्तारण के लिये के अधिसूचना कमांक प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/15 दिनांक 27.04.2017 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की कुछ धाराओ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को एम्पावर्ड समिति को प्रत्यायोजित की जाकर एम्पावर्ड समिति गठित की गई है। राज्य सरकार द्वारा उक्त शिविरो में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धार 69-ए तथा इसके अन्तर्गत विरचित Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के संबंध में अधिसूचना कमांक 7960 दिनांक15.06.2015 को जारी की जा चुकी है तथा उक्त नियम के नियम 8 के अन्तर्गत शुल्क अधिसूचना प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/15/11263 दिनांक 24.09.2015 द्वारा निर्धारित की गई है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए निम्नानुसार हैः-

"**69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease deed.-** (1) Any person who holds non-agricultural land within the municipal area otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining lease hold rights from the Municipality and the Municipality may accept such rights.

(2) On acceptance by Municipality of rights under sub-section (1), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue the holder lease of the said land.

(3) The lease issued under sub-section (2) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under subsection (1) .".

उक्त नियम 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत अधिसूचना कमांक 11263 दिनांक 24.09.2015 द्वारा लीज-डीड जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया हैः-

1. आवेदन पत्र का मूल्य रुपये 100/-

2. आवेदन पत्र मय दस्तावेज जमा करवाये जाते समय प्रोसेसिंग फीस (नॉन रिफण्डेबल):-

(i). 200 वर्गगज तक के लिये : रूपये 250/-

(ii). 201 वर्गगज से 1000 वर्गगज तक रूपये 1000/-

(iii). 1001 वर्गगज से 1000 वर्गगज तक रूपये 5000/-

(iv). 10001 से किसी भी सीमा तक के लिये रूपये 10000/-

3. लीज डीड जारी किये जाने हेतु क्रम संख्या 1 एवं 2 में वर्णित राशि के अतिरिक्त पृथक से 25 रूपये प्रति वर्गगज शुल्क देय होगा। परन्तु लिये जाने वाली अधिकतम राशि किसी भी सीमा तक क्षेत्रफल के लिये 2,50,000/- लाख रूपये (अक्षरे दो लाख पच्चास हजार रूपये) से अधिक नहीं होगी।

उक्त नियम, 2015 के नियम 9 से 11 में निम्न प्रावधान किया गया है:-

"**9. Lease-deed.-** After grant of permission under rule 6 and deposition of charges under rule 8, lease deed shall be executed by the Chief Municipal Officer and the Chairperson on behalf of the Governor of the State of Rajasthan in favour of person to whom permission is granted under rule 6 or in favour of his successors, assignees or transferees, as the case may be.

10. Tenure and terms and conditions of lease.- The lease granted under these rules shall be on the freehold basis in perpetuity with right of inheritance and alienation subject to such other terms and conditions as may be determined by the State Government, from time to time.

11. Documentary evidence.- For every freehold lease granted under these rules a document evidencing the same shall be prepared in Form-7 which shall be signed for and on behalf of Governor of the State of the Rajasthan by the Chairperson and Chief Municipal Officer of the Municipality, and shall be duly stamped and registered at the expense of the leasee."

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए सपठित धारा 337 तथा Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा धारा 69-ए तथा नियम, 2015 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ उक्त शक्तियां अधिसूचना कमांक प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/17/दिनांक 27.04.17 के अन्तर्गत गठित एम्पावर्ड समिति को प्रत्यायोजि करती है।

अतः उपरोक्त धारा 69-ए के अन्तर्गत विरचित नियम 2015 एवं इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओ को दृष्टिगत रखते हुये उक्त नियमो के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने हेतु आम-जन के जानकारी में लाये जाने के प्रयोजनार्थ प्रचार-प्रसार किया जाकर अधिक से अधिक संख्या में ऐसे प्रकरणो का निस्तारण त्वरित गति से दिनांक 10.05.2017 से 10.07. 2017 की अवधि में आयोजित अभियान शिविरो में किया जावे। उक्त

अभियान समाप्त होने के पश्चात् भी ऐसे प्रकरणो का निस्तारण किया जावे ताकि आम-जन को लाभ प्राप्त हो सके।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(12)/नियम/डीएलबी/15/15013-15504 जयपुर, दिनांक 12/05/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त आयुक्त विकास प्राधिकरण राजस्थान।
6. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास राजस्थान।
7. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
10. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\15.Order.doc